न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 15/2017

दर्ज दिनांकः 20/02/2017

निर्णय दिनांक : 04/06/2018

शिवराजसिंह पुत्र रेंवत सिंह दत्तक पुत्र जसवंत सिंह जाति राजपूत, निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः प्लॉट नंवर 511, महावीर नगर टोंक रोड, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. संग्राम सिंह पुत्र धूल सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र धूल सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः 43 एफ, श्याम वाटिका (बजरंग वाटिका के पास), सिरसी रोड, बिन्दायका, जयपुर।
3. नरपत सिंह पुत्र धूल सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः 104, चौथी मंजिल कर्मयोगी अर्पाटमेन्ट हबीब मार्ग, मोतीनगर (पश्चिम) अक्षर धाम के पास, वैशाली नगर, जयपुर।
4. टीकम सिंह पुत्र भीम सिंह
5. सतपाल सिंह पुत्र भीम सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः न्यू कॉलोनी बाबरा टावर के पास, तहसील रायपुर जिला पाली, राजस्थान।
6. विक्रम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
7. सीमा कंवर पुत्री अर्जुन सिह
8. किशन कंवर पुत्री अर्जुन सिंह
9. वीरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

10. भंवर कंवर पत्नि इन्द्र सिंह

11. मनोज कंवर पुत्री इन्द्र सिंह

12. किशोर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत, निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासीः प्लॉट नंबर 18, हरिनगर 5 ज्योतिराव फूले कॉलेज के पीछे, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।

14. गुलाब कंवर पत्नि विजेन्द्र सिंह

15. हितेन्द्र सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह

16. ओमपाल सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह

17. श्याम सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह

18. भंवर कंवर पुत्री विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

19. रामप्यारी पत्नि रामचन्द्र जाति जाट निवासीः पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

20. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

21. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 448 के आराजी खसरा नंबर 2296 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा व खाता संख्या 449 के आराजी खसरा नंबर 2297 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी का खसरा नंबर 2296 में शिवराज सिंह पुत्र रेंवत सिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 व शिवराज सिंह दत्तक पुत्र

उप खण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जसवंत सिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 का दर्ज हिस्से अनुसार हिस्सा है इसी प्रकार से मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। उपरोक्त खसरा नंबर 2297 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 ने खसरा नंबर 2296 में प्राप्त हिस्से को उक्त खसरा नंबर 2297 में पूर्व में बाहमी बंटवारा कर उत्तर दिशा की ओर लेकर मौके पर काबिज है तथा वादी के नाम दर्ज हिस्सा शिवराज सिंह दत्तक पुत्र जसवंत सिंह के नाम का हिस्सा खसरा नंबर 2297 में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के मौके पर काबिज हिस्से के दक्षिण दिशा में प्राप्त कर मौके पर काबिज है एवं शिवराज सिंह पुत्र रेंवत सिंह के नाम दर्ज हिस्सा खसरा नंबर 2297 व 2296 में दर्ज हिस्सा 2297 के लगवा काबिज है व प्रतिवादी संख्या 19 वादी के हिस्से के दक्षिण में अपना हिस्सा खसरा नंबर 2296 में प्राप्त कर मौके पर काबिज है। विवादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत तकासमा एवं तरमीम नहीं होने से पक्षकारान के मध्य काश्त के समय आये दिन मेरकोर एवं सीमाओं को लेकर लडाई झगडा होता रहता है इसलिये वादी अपने हिस्से की आराजी को मौके एवं हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक भौतिक कब्जे के आधार पर खाता अलहदा–अलहदा करवाना चाहते है जिससे वादी अपने हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त कर सके तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सके इसलिए उक्त वाद वादी को घोषणा व तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है। खसरा नंबर 2296 व 2297 में पक्षकारान का हिस्सा है परन्तु मौके पर उक्त खसरा नंबरान में प्राप्त हिस्सा काफी समय पूर्व से ही बाहमी बंटवारा कर इकजाय लेकर मौके पर काबिज है, मौके अनुसार अपना हिस्सा उपरोक्त नंबरान में से प्राप्त करने हेतु वादी को यह वाद घोषणा पेश करना आवश्यक हुआ है जिसके अनुसार वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार अपना हिस्सा प्राप्त कर तकासमा करवा सके। वादी ने अपने हिस्से की आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत एवं उपजाऊ बना ली है तथा अभी हाल ही में जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है तथा प्रतिवादीगण वादी की कब्जेशुदा आराजी को अपनी बताकर दीगर व्यक्तियों को बिना विभाजन करवाये बेचान करने की फिराक में है। अभी हाल ही में राजस्व कैम्पो में वादी ने उक्त प्रकार से तकासमा व हिस्सा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को निवेदन किया तो उन्होंने उनमे से प्रतिवादी संख्या 1, 13 व 19 ने तो अपनी सहमति दे दी थी परन्तु अन्य प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नहीं हुये जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को

खण्ड अधिकारी
कानी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 21.01.2017 को तकासमा मौके काबिज वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण आनाकानी करने लगे एवं तकासमा नहीं करवा रहे हैं इसलिए वादी को अपने हिस्से को अलग करवाने हेतु उक्त वाद घोषणा तकासमा पेंश करना लाजमी आया है। खसरा नंबर 2296, 2297 में वादी के पिता के रूप में 2 वल्दीयत है जिसमें शिवराज सिंह पुत्र रेंवतसिह व शिवराज सिंह दत्तक पुत्र जसवंत सिंह दर्ज है उक्त दोनो ही नाम वादी के है एवं उक्त दोनो ही नाम से वादी खातेदार काश्तकार है वादी के अलावा उक्त नाम के अन्य कोई व्यक्ति ग्राम पीपला में नहीं हैं इसलिये वादी को अपने हितो की प्राप्ति हेतु यह वाद पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वो वादी के कब्जे काश्त एवं उन्नत उपजाऊ भूमि को दीगर व्यक्तियों को अपनी भूमि बताकर बिना तकासमा करवाये बैचान करें जबकि वादी को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा दें।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुयें यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र दर्ज हिस्से एवं वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार घोषणा खातेदारी की जाकर वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार तकासमा एवं तरमीम एवं खाता अलहदा–अलहदा एवं लगान की फेटबंदी किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के हक व हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वयं करे तथा ना ही अपने किसी हाली, सीरी व नौकर से करावें एवं आराजी भूमि को दीगर व्यक्ति को रहन, वैय, मुन्तकिल आदि न करें, न आराजी भूमि से वादी को बेदखल करें, न करावें इस बाबत तहसीलदार फागी को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 30.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 19 ने स्वयं इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री गोविन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 10 ल. 12 व 14 ल. 18 की ओर से श्री गोविन्द सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.02.2018 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्व न्यायालय में अुनपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 27.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 18 का जवाब, काफी अवसर दिये जाने के

Scanned by CamScanner

पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 20 व 21 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनकर, बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर करने के पश्चात दिनांक 27.02.2018 को न्यायालय द्वारा वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2296 एवं 2297 ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त अथवा मौका कब्जा सहमति अनुसार तकासमा किया गया। तहसीलदार फागी को मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरेजात तैयार कर दो–दो प्रतियो में न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

दिनांक 01.06.2018 को तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकील पक्षकारान उप0।

पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान ने नक्शे कुरैजात अनुसार वाद को डिक्री किये जाने में सहमति प्रकट की। पक्षकारान की सहमतिनुसार वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात क्रमांक 745 दिनांक 01.06.2018 अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम पीपला, तहसील फागी जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	रामप्यारी धर्मपत्नि रामचन्द्र जाति जाट सा. देह	2296/2	4.04
2.	किशोर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पि. इन्द्र सिंह हि. 2/3, हितेन्द्र सिंह, श्याम सिंह, ओमपाल सिंह पि. विजेन्द्र सिंह 19/75, गुलाब कंवर ध.प. विजेन्द्र सिंह हि 1/25, भंवर कंवर पुत्री बिजेन्द्र सिंह हि. 1/25 जाति राजपूत सा. देह	2297/2	4.04

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

3.	विक्रम सिंह, वीरेन्द्र सिंह पि. अर्जुन सिंह, सीमा कंवर, किशन कंवर पुत्रियां अर्जुन सिंह हि. 1/5, संग्राम सिंह, महेन्द्र सिह, नरपत सिंह पि. धूलसिंह हि. 3/5, टीकमसिंह पुत्र भीमसिंह (बालिग) व सत्यपाल सिंह पुत्र भीमसिंह (नाबा.) वली टीकमसिंह पुत्र भीमसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा. देह	2297/1	8.08
4.	शिवराज सिंह पुत्र रेवतसिंह दत्तक पुत्र जसवन्त सिंह जाति राजपूत सा.	2296/1 2297/3	1.17 6.11
		2	8.08

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner